न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 35/2020

श्री तरूण जैन जिनेन्द्र भवन बस स्टेण्ड के पास जनता कॉलानी वार्ड न0 10 मालपुरा जिला टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 21–10–2020

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना को अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा जिला टोंक को आवेदन पत्र प्रेषित/प्रस्तुत किया। आवेदन पत्र में उपखण्ड अधिकारी मालपुरा जिला टोंक से आवेदक द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :–

Is any permission given by SDM office Malpura for organized / conduct ceremony function related to marriage / ring ceremony / any other type for the Venue ICSR-CSWRI, Avikanagar Campus Only (Not other)

If yes :

1 Who Sought the permission (Name & Address)

2 Which function & Which date

3 Maximum members allowed in function

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा ने उनके पत्र क्रमांक 2896 दिनाक 12–10–2020 से जवाब प्रेषित कर जवाब की प्रति आवेदक को

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 11:10:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रतिप्रेषित की है। इससे साबित है कि लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा सूचना अपील प्रस्तुत होने के पश्चात प्रेषित की गई है जो नियमानुसार उचित नहीं है। भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियमानुसार 30 दिवस की अवधि में सूचना उपलब्ध करावें। चूंकि आवेदक को सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा जिला टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 11:10:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner